

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/एफ-1ए/सैटअप परिवर्तन/2016-17

दिनांक 13.6.2016

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,
.....


विषय:- अधिशेष अध्यापकों के पदस्थापन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में अधिशेष अध्यापकों एवं रिक्त पदों पर पदस्थापन की कार्यवाही जिला स्तर पर काउन्सलिंग कैम्प का आयोजन कर की गई है।

उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि जिन अध्यापकों (लेवल-1 व लेवल-2) द्वारा परिवेदना समिति के समक्ष निम्नांकित कारणों से अपनी परिवेदना प्रस्तुत की गयी है उन्हें आगामी आदेशों तक कार्यमुक्त नहीं किया जाये-

1. 30 नवम्बर, 2016 को अथवा इससे पूर्व अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
2. उच्च प्राथमिक विद्यालय में पाते वेतन पर प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु आप अपने अधीनस्थ विद्यालयों को अविलम्ब पाबन्द करें।


(जे.सी.पुरोहित)

आई.ए.एस.

निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर



(बी.एल.स्वर्णकार)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
3. सिस्टम ऐनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)